कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 49 / 2023

श्री भूपसिंह पुत्र स्व. दौजी राम, अनाह दरवाजा बाहर, सब्जी मंडी भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग,(ए.डी.एम.शहर) कलक्ट्रेट भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

———

आदेश **दिनांक 4.9.2023**

अपीलार्थी श्री भूपसिंह पुत्र स्व. दौजी राम, अनाह दरवाजा बाहर, सब्जी मंडी भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग,(ए.डी.एम.शहर) कलक्ट्रेट भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 19–06–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग,(ए.डी.एम.शहर) कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 586 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग,(ए.डी.एम.शहर) कलक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग,(ए.डी.एम.शहर) कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र सामान्य./ अपील / 2022 /8/8138 दिनांक 28.8.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का अपनी अपील में कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग,(ए.डी.एम.शहर) कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र सामान्य./ अपील / 2022 /8/8138 दिनांक

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

(2) अपील / आरटीआई / 49 / 2023

भूपसिंह बनाम प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग

28.8.2023 का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी / प्रार्थी का सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर निगम भरतपुर एवं तहसीलदार भरतपुर को कार्यालय के पत्र क्रमांक 5016–17 दिनांक 7.7.2023 से प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के प्राप्त जबाब से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। उक्तानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रार्थीया को (लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग(ए.डी.एम.शहर) कलेक्ट्रेट, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर